

तत्काल  
तिथिबद्ध

क्रमांक: 46/5/2000-5पोल  
हरियाणा सरकार  
मुख्य सचिव कार्यालय  
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग

Establishment Branch  
Daily No. 5031  
Dated 12/8/15

दिनांक 06 अगस्त, 2015

सेवा में

1. आयुक्त, अम्बाला/ रोहतक/ गुड़गांव / हिसार मण्डल ।
2. हरियाणा के सभी उपायुक्त ।
3. हरियाणा के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)

विषय:- 15 अगस्त, 2015 को स्वतन्त्रता दिवस समारोह पर ध्वजारोहण करने बारे ।

महोदय,

PS/DGFS  
Receipt No. 3999  
Date 17/8/15

DGR (Busy)  
Poonam (P)  
10-8-15  
DD (Admin)

उपरोक्त विषय पर मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आगामी स्वतन्त्रता दिवस समारोह 15 अगस्त, 2015 को पूर्व वर्षों की भांति गौरवपूर्ण ढंग से आयोजित करने तथा राज्य के विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण प्रातः 9:00 बजे के तुरन्त बाद करने का निर्णय लिया गया है ।

Kr  
12/8

महामहिम राज्यपाल, हरियाणा, पंचकुला में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे । राज्यपाल महोदय की ओर से 15 अगस्त, 2015 की शाम को पंजाब राज भवन, चण्डीगढ़ में ही 'एट होम' होगा ।

DSTR

3. मुख्यमन्त्री महोदय, माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा/ सभी मंत्रीगण/सभी राज्य मंत्रीगण /सभी मुख्य संसदीय सचिव उनके नामों के आगे लिखे स्थानों पर ध्वजारोहण करेंगे :-

Bureau  
12/8  
Wrough 6/11  
R.A.  
8:15  
(USP)

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. श्री कंवर पाल, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा                                | पामीपत               |
| 2. श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमन्त्री                                       | कुरुक्षेत्र          |
| 3. श्री राम बिलास शर्मा, शिक्षा मंत्री                                      | फरीदाबाद             |
| 4. कैप्टन अभिमन्यु, वित्त मंत्री  | अम्बाला              |
| 5. श्री ओमप्रकाश धनखड़, कृषि मंत्री   | भिवानी               |
| 6. श्री अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री  | यमुनानगर             |
| 7. श्री नरबीर सिंह, लोक निर्माण मंत्री                                      | मेवात (सूह)          |
| 8. श्रीमति कविता जैन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री                    | रोहतक                |
| 9. श्री कृष्ण लाल पंवार, परिवहन मंत्री                                      | गुड़गांव             |
| 10. श्री बिक्रम सिंह ठेकेदार, राज्य मंत्री, सहकारिता                        | महेन्द्रगढ़ (नारनौल) |
| 11. श्री घनश्याम सराफ, राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी              | रेवाड़ी              |
| 12. श्री कृष्ण कुमार, राज्य मंत्री, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण | जीन्द                |
| 13. श्री कर्ण देव काम्बोज, राज्य मंत्री, खादय एवं आपूर्ति                   | कैथल                 |
| 14. श्री नायब सिंह, राज्य मंत्री, खान एवं भू-विज्ञान                        | करनाल                |
| 15. श्री श्याम सिंह, मुख्य संसदीय सचिव                                      | सोनीपत               |
| 16. श्री बख्शीश सिंह विर्क, मुख्य संसदीय सचिव                               | फतेहाबाद             |
| 17. श्रीमति सीमा त्रिखा, मुख्य संसदीय सचिव                                  | पलवल                 |
| 18. डॉ० कमल गुप्ता, मुख्य संसदीय सचिव                                       | सिरसा                |

4. यदि उपरोक्त महानुभावों में से कोई उक्त स्थानों पर निजी कारणों से नहीं पहुँच पाता तो वहां सम्बन्धित उपायुक्त झण्डा फहरायेंगे । यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि जिन जिलों में किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई है वहां पर सम्बन्धित उपायुक्त झण्डा फहरायेंगे ।

5. उपमण्डल/तहसील मुख्यालयों पर यह कार्य सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)/तहसीलदार करेंगे । मण्डल/जिला/उपमण्डल/तहसील मुख्यालयों पर पुलिस परेड होगा । जिन स्थानों पर ऐसी परेड के लिए पुलिस बल यथेष्ट रूप में उपलब्ध न हों तो वहां गृह रक्षी/नैशनल कैडेट कोर के बलों को भी इस प्रयोजन के लिए पुलिस बल के साथ-2 प्रयोग में लाया जाए ।

जारी.....2

6. इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुदेशों का ध्यान रखा जाये-

- (क) मण्डल/जिला/उपमण्डल/तहसील मुख्यालयों पर पुलिस परेड की जाये। होम गार्ड/एनओसीओ के दलों को भी इस प्रयोजन के लिये पुलिस के साथ प्रयोग में लाया जाये।
- (ख) विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में विशेष उत्सवों का आयोजन किया जाये, जिसमें सामूहिक राष्ट्रगान भी हो। छात्रों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे इस सामारोह में विशेष रूप से भाग लें। इस सम्बन्ध में हिदायतें शिक्षा विभाग द्वारा अलग से जारी की जायेंगी।
- (ग) राष्ट्रीय ध्वज सभी सरकारी भवनों पर फहराया जाये।

भवदीय  
अवर सचिव राजनैतिक।

पू० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ 06 अगस्त, 2015  
एक प्रति हरियाणा राज्य के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/विभागाध्यक्षों एवं पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

अवर सचिव राजनैतिक।

पू० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ 06 अगस्त, 2015  
एक प्रति राज्यपाल, हरियाणा के सचिव को उनके पत्र क्रमांक H020B0-वी०ए०-55 (2)-05/5619, दिनांक 17 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

अवर सचिव राजनैतिक।

पू० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ 06 अगस्त, 2015  
एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

अवर सचिव राजनैतिक।

पू० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ 06 अगस्त, 2015  
एक-एक प्रति मुख्य मंत्री/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/विशेष प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव/विशेष कार्य अधिकारी (मुकुल कुमार)/विशेष कार्य अधिकारी (जवाहर यादव)/विशेष कार्य अधिकारी (कैप्टन भूपेन्द्र)/विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/विशेष कार्य अधिकारी (श्री विजय शर्मा), अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिवों/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के विशेष वरिष्ठ सचिवों/वरिष्ठ सचिवों/सचिवों/निजि सचिवों को मुख्य मंत्री/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/विशेष प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव/विशेष कार्य अधिकारी (मुकुल कुमार)/विशेष कार्य अधिकारी (जवाहर यादव)/विशेष कार्य अधिकारी (कैप्टन भूपेन्द्र)/विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/विशेष कार्य अधिकारी (श्री विजय शर्मा), अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिवों/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के सूचनार्थ भेजी जाती है।

अवर सचिव राजनैतिक।

पू० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ 07 अगस्त, 2015  
एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है :-

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा।
2. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा।
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा।

अवर सचिव राजनैतिक।

**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL FOOD & SUPPLIES, HARYANA, CHANDIGARH**

Endst. No. 6E(I)-2015/ 2598

Dated, Chandigarh, the 12.08.2015

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Officers/Branch Officers at Hqrs.
2. All the District Food and Supplies Controllers in the State of Haryana.
3. DCLM, Haryana, Near Football Chowk, Ambala Cantt.

Deputy Superintendent Estt.-1  
for Director General Food & Supplies, Haryana